

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड “ऑडिट भवन” कौलागढ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859)

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-61 /2025-26/

दिनांक: /11/2025

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय ।

विषय:- वित्त विभाग (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या-339242//XXVII(10)/2025-E-22807/2022 दिनांक: 27.10.2025 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 7 वा वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक:01 जुलाई 2025 से 55% मंहगाई राहत के स्थान पर 58% प्रतिमाह की स्वीकृति के संबंध में ।

सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन)अनुभाग-10संख्या-339242//XXVII (10)/2025 -E-22807/2022 दिनांक: 27.10.2025

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय,


वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या: 339242/XXVII(10)/2025-E-
22807/2022
देहरादून: दिनांक 27 अक्टूबर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-294393/XXVII(10)/E-2807/2022, दिनांक-02.05.2025 द्वारा स्वीकृत मंहगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक-01.07.2025 से 55% के स्थान पर 58% की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 27-10-2025
18:31:16 ऋषिचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No- / XXVII(10)/2025-E-
22807/2022
Dehradun: Dated 27 October, 2025

Office Memorandum

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2025 @ 58% instead of 55% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 294393/XXVII (10)/ E-22807/2022, Dated-02.05.2025 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Sector Undertaking etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Dilip Jawalkar)
Secretary.

To No. 412
39242
EDP/39242/XXVII(10)/2025-E-
22807/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्थ किये जाने को सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

339242

No. /XXVII(10)/2025-E-22807/2022, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action :-

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that keeping in view the financial position of the body/undertaking, the body/undertaking itself may take a decision regarding granting dearness relief to its employees and there is no requirement of consent of Finance Department.
- 4- All Commissioners/District Magistrates, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttarakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand please.

By Order,

Digitally signed by

Ganga Prasad

Date: 24-10-2025 (Ganga prasad)

16:06:32

Additional Secretary.



27-10-2025, 12:38

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

आज्ञा सं. 607/2025
दिनांक 4-11-25
MMS
12/11/25

वरि. उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकाश
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 2426.
दिनांक 02/11/25

DR-01
13/11/25